

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 533.]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 सितम्बर 2022—आश्विन 7, शक 1944

लोक सेवा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2022

क्र. 660-859981-2022-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-44.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक की सेवाएं:—

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
44.4	सेवा प्रदाता को अनुज्ञप्ति प्रदाय	संबंधित जिला पंजीयक/वरिष्ठ जिला पंजीयक	15 दिवस	संबंधित परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन.	30 दिवस	महानिरीक्षक पंजीयक.

क्र. 661-859953-2022-लोसेप्र-इकसठ-1-पी.एस.जी.-23.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत पर्यटन विभाग की सेवाएं:—

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23.6	मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 की कंडिका क्रमांक 10.1.5, 10.2.1 तथा 10.3.1 के तहत शूटिंग दिवस सत्यापन प्रमाण-पत्र.	जिला-कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त	15 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव, पर्यटन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गिरीश शर्मा, उपसचिव.